झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

(सभा द्वारा यथा पारित)

सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय-सूची

1) संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ ।

(2) बिहार अधिनियम-16, 1993 (अंगीकृत) की धारा 2 का संशोधन।

(3) बिहार अधिनियम-16, 1993 (अंगीकृत) की धारा 3 का संशोधन।

(4) बिहार अधिनियम-16, 1993 (अंगीकृत) की धारा 3 की उपधारा 3 का प्रतिस्थापन।

(5) बिहार अधिनियम-16, 1993 (अंगीकृत) की धारा 4 का विलोपन।

(6) बिहार अधिनियम-16, 1993 (अंगीकृत) के साथ संलग्न अनुसूची का प्रतिस्थापन।

झारखण्ड सरकार

वित्त (वाणिज्य–कर) विभाग

झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

(सभा द्वारा यथापारित)

बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम 16, 1993) (अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो ।–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ।

(1) यह अधिनियम झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम 2001 कहा जा सकेगा।

(2) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 16, 1993 (अंगीकृत) की धारा 2 का संशोधन।

बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) (अंगीकृत) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रुप में विनिर्दिष्ट) की धारा 2 के खण्ड–ग में एक परन्तुक निम्नलिखित रुप में जोड़ा जायेगा, यथा –

''परन्तु यह कि वैसी वस्तु जिनपर बिहार वित्त अधिनियम 1981 (अंगीकृत) की धारा 12 (1) के अंतर्गत बिक्री कर की देयता है, के

संदर्भ में माल के प्रवेश से अभिप्रेत है स्थानीय क्षेत्र में राज्य के बाहर के किसी स्थान से उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल का प्रवेश।''

3. बिहार अधिनियम 16, 1993 (अंगीकृत) की धारा 3 का संशोधन -

(i) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रथम परंतुक के उपरांत द्वितीय परंतुक निम्नलिखित रुप में अंतः-स्थापित की जायेगी, यथा:-

''परंतु यह और कि अधिनियम के अंतर्गत कर चुकाने का दायी आयातक यदि बिहार वित्त अधिनियम 1981 (अंगीकृत) के अंतर्गत अनुसूचित मालों की बिक्री के कारण कर चुकाने का दायी हो जाय तब बिहार वित्त अधिनियम 1981 (अंगीकृत) के अंतर्गत उसकी कर देयता इस अधिनियम के अंतर्गत चुकायी गयी कर की रशि तक घटा दी जायेगी।''

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा :-

''(3) अनुसूचित माल पर स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के प्रथम बिन्दु पर ही प्रवेश कर की देयता होगी और किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित मालों के अनुवर्ती प्रवेश पर इस अधिनियम के अधीन कर की देयता नहीं होगी, बशर्ते अनुवर्ती आयातक व्यापारी उस व्यापारी जिससे उसने माल खरीदा या प्राप्त किया हो प्राप्त कैशमेमो, बिल अथवा चालान की मूल प्रति के साथ विहित फारम में घोषणा विहित रीति से कर निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।''

4. बिहार अधिनियम 16, 1993 (अंगीकृत) की धारा 4 का विलोपन।-
उक्त अधिनियम की धारा-4 विलोपित किया जायेगा।

5. बिहार अधिनियम 16, 1993 (अंगीकृत) के साथ संलग्न अनुसूची का प्रतिस्थापन।-

उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची निम्नलिखित रुप में प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा :-

"अनुसूची

1. मोटर वाहन
2. तम्बाकू उत्पाद (बीड़ी छोड़कर)
3. भारत में निर्मित विदेशी शराब
4. वनस्पति एवं हाइड्रोजेनेटेड ऑयल
5. सीमेंट
6. कच्चा तेल (क्रूड ऑयल)
7. तम्बाकू
8. इमल्सन पेंट
9. सैनिटरी फिटिंग्स
10. एयर कंडिशनर, एयर कूलर एवं एयर सरकूलेटर
11. संगमरमर, संगमरमर चिप्स एवं टाईल्स, ग्रेनाइट पत्थर एवं सिरामिक तथा ग्लेज्ड टाईल्स
12. इलेक्ट्रीकल्स फिटिंग्स
13. कोयला
14. ऑयरन एवं स्टील
15. स्टील, प्लास्टिक एवं पीभीसी पाईप
16. अलकतरा"